सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 28/12 **निर्णय दिनांकः– 19.06.2018**

1. कालीदास पुत्र शिवनारायण जाति किराडु निवासी सालें की होली, बीकानेर।
2. राजकुमारी पत्नि कालीदास जाति किराडु सालें की होली, बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. शौकत अली पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी मनोहरिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. बशीरा पत्नि शौकत अली जाति मुलसमान निवासी मनोहरिया तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08–03–2002
सहायक आयुक्त प्रथम, बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, प्रथम, बीकानेर के आदेश दिनांक 08–03–2002 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन के तहम चक 5 डीएलएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 162/8 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 24–03–2002 को किया गया तथा अपीलांट को आवंटित भूमि का पटटा भी दिनांक 18–05–2002 को जारी कर दिया गया तथा अपीलांट आवंटन के समय से ही वादगत् भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि की तमाम किश्तें भी जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत व राजस्व कर्मचारियों को तत्समय ही अपीलांट को आवंटित वादगत् भूमि का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज होने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विनिमय में दिनांक 25–03–2004 को आवंटित कर दी गई। ऐसा आवंटन आवंटन नियमों व कानून के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

उन्होनें आगे बताया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट के आवंटित किये जाने की तिथि को शुद्व रूप से आराजीराज भूमि नहीं थी वरन् अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी ऐसी स्थिति में आक्यूपाईड लैण्ड का आवंटन रेस्पोडेन्ट को नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व ना तो मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना किसी प्रकार की जॉच किये रेस्पोडेन्ट के आवेदन पर वादगत् भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट को कर दिया गया। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे मामलों में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे अन्यथा अपीलांट को उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के समन रजिस्टर्ड जारी होने पर वे उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 29–04–2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–2002 के विरूद्व अपील 19–01–2012 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर है। अपीलांट को आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित की जा चुकी है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम अपीलांट को वादगत् भूमि चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 162/8 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि का आवंटन भूमिहीन श्रेणी के तहत आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 24–03–2002 को किया गया था। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा इसी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को विनिमय में दिनांक 25–03–2004 को किया गया है।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन किये जाने के उपरान्त वादगत् भूमि हेतु निर्धारित राशि जमा करवाई जाने के उपरान्त आवंटन पट्टा अदालत मातहत द्वारा जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन की तमाम प्रकिया पूर्ण कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में तत्समय ही किया जाना चाहिए था। जैसा की प्रकरण में नहीं किया गया है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण भूमि रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रहने के कारण वादगत् भूमि का अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है।

(3) प्रकरण में वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा भी आवंटन के पेटे तमाम राशि खजाराराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में दोनों की पक्षकारों द्वारा अपने–अपने आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

(4) प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि वर्ष 2002 उक्त भूमि बतौर भूमिहीन अपीलांट को आवंटित की जा चुकी है। प्रकरण में अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन के समय ही राजस्व रिकार्ड में इस आश्य का इन्द्राज किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत एवं राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा एक ही आराजी का दो बार आवंटन कर दिया गया है व वर्तमान में वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित होने व वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त होने के कारण उक्त आराजी अब अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज नहीं किया गया है व अपीलांट की पात्रता भूमिहीन श्रेणी की आज दिनांक को भी कायम है। अतः अपीलांट उसी श्रेणी की अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः बिन्दु सिंह 6 के मद संख्या 1 से 5 में वणिर्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट का आवंटन दिनांक 08–02–2002 बहाल रखा जाता है व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर